

प्रेषक,

शंभु शरण नांप्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवामें,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\*द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक २७/०२/ २०२५

**विषय:**— “विकसित बिहार के सात निश्चय-१” अंतर्गत मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल में नवनिर्मित ए०एन०एम० स्कूल, जी०एन०एम० स्कूल एवं बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं में अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एवं उपस्करणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में, रु० ९,४९,२२,२००/- (रुपये नौ करोड़ उनचास लाख बाइस हजार दो सौ) मात्र की लागत पर प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में रु० ७०,००,०००/- (रुपये सत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि “विकसित बिहार के सात निश्चय-१” अन्तर्गत राज्य मे ५४ मुख्यमत्री निश्चय ए०एन०एम० स्कूल के निर्माण हेतु, २३ मुख्यमत्री निश्चय जी०एन०एम० स्कूल के निर्माण एवं १६ मुख्यमत्री निश्चय बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के निर्माण के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमे केवल भवन, फर्नीचर आदि कार्य ही शामिल रहने के कारण ६ विविध प्रयोगशालाये (Skills Lab, Community Health Nursing Lab, Nutrition Lab, Anatomy and Physiology Lab, Pre-Clinical Lab & IT Lab) हेतु उपकरण एवं उपस्करणों को अधिष्ठापित नहीं किया जा सका है।

२— अतएव नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत Indian Nursing Council के National Health Policy Revised Operational Guidelines-२०१७ के अनुरूप संस्थान-कोटिवार उपकरणों की सख्त्या एवं बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना अन्तर्गत गठित तकनीकी विशिष्टता समिति के द्वारा प्राक्कलित दर पर होने वाले व्यय विवरणी प्रमङ्गलवार तैयार की गयी है। निर्माण एजेन्सी (BMSICL) के द्वारा प्रमङ्गलवार Turnkey Basis पर सभी संस्थानों मे उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जाना है। इसके लिए मुंगेर एवं भागलपुर प्रमङ्गल अन्तर्गत नवनिर्मित संस्थानों हेतु रु० ९,४९,२२,२००/- (रुपये नौ करोड़ उनचास लाख बाइस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्त्या-५६६(७), दिनांक-२०.०३.२०२३ द्वारा प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मे विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्त्या-५११(७), दिनांक-१३.०३.२०२५ के द्वारा रु० १,००,००,०००/- (एक करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गयी थी, जिसकी निकासी तकनीकी कारणवश नहीं की जा सकी।

३—इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

| क्र०सं०  | वित्तीय वर्ष | राशि (रु० मे) | व्ययादेश स० एवं दिनांक       |
|----------|--------------|---------------|------------------------------|
| १        | २०२३-२४      | ४,००,००,०००/- | स०-२४६(७), दिनांक-२७.०९.२०२३ |
| २        | २०२३-२४      | ३,००,००,०००/- | स०-४७५(७), दिनांक-१५.०२.२०२४ |
| कुल योग- |              | ७,००,००,०००/- |                              |

४— तदनुसार “विकसित बिहार के सात निश्चय-१” अंतर्गत मुंगेर एवं भागलपुर प्रमङ्गल मे नवनिर्मित ए०एन०एम० स्कूल, जी०एन०एम० स्कूल एवं बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं मे अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एवं उपस्करणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मे, रु० ९,४९,२२,२००/- (रुपये नौ करोड़ उनचास लाख बाइस हजार दो सौ) मात्र की लागत पर प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष २०२५-२६ मे रु० ७०,००,०००/- (रुपये सत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिंग, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0—566(7) दिनांक—20 03 2023 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6— यह व्यायादेश/राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि०(2), दिनांक—17 04 98, 2880/वि०(2), दिनांक—06 05 06, 2938/वि०(2), दिनांक—08 04 08, 3758/वि०, दिनांक—31 05 2017 एवं 12888/वि०, दिनांक—03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8— इस राशि के व्यय का वहनमाग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105— एलोपैथी—0112— ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० रकूल, विपत्र कोड—20—4210031050112 अन्तर्गत विषय शीर्ष—0112—52 02 मशीने एवं उपरकर—अन्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बाल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिंग, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट संख्या—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID—5265 में जगाकर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और संसमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

10— बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, जटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचारे/उपयोगिता प्रमाण—पत्र के साथ संसमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12— प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या—स०स०—7/बजट—46—09/2023 के पृष्ठ—२०/टिंग पर प्राप्त है।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की अद्यतना नहीं है।

14— यह मात्र व्यायादेश है, आवटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायगा।

विश्वासभाजन

(शामु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक:—7/बजट—46—09/2023 — /८३ (७) , स्टान, पटना, दिनांक—२९/०८/ 2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमङ्गलीय आयुक्त मुगेर प्रमङ्गल, मुगेर एवं भागलपुर प्रमङ्गल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, मुगेर, बेगुसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर एवं बाका/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर बेगुसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर एवं बाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आपर सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशास्त्र पदाधिकारी—६ एवं //लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिंगिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को धिमागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सबंधित को ई—मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।